जिला	स्थान
अल्मोड़ा	13. अल्मोड़ा
,,	14. कौसानियां
मुरादाबाद	15. मुरादाबाद
	16. अमरोहा
पिथौरागढ़	17. पिथौरागढ़
	18. मुनशीयारी
एटा	19. एटा
बहराइच	20. शंकरपुर
	21. परकोलिया
बलिया	22. बंधनान
आजमगढ़	23 नगरा
प्रतापगढ़	24. बोहरीया:
इलाहाबाद	25. लालगंज
फैजाबाद	26. इलाहबाद सिटी
लखनऊ	27. फैजाबाद
	28. गोमतीन गर
	29. इंदिरा नगर
नैनीताल	30. ट्रांसपोर्टनगर
	31. कोटाबाग
बरेली	32. पीलीभीत सिटी
	33. भामोरा
	34. मीरगंज
जालौन	35. बिसारथगंज
आगरा	36. ऊरई
गोरखपुर	37. संजय प्लेस आगरा
सहारनपुर	38. गोरखपुर
चमोली	39. बबाइल बुजुर्ग
मेरठ	40. गौचर
मुजफ्फरनगर	41. आर०पी० रोहल्ला
सुल्तानपुर	42. थाना भवन
	43. औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर

केबल डाले जाने से संबंधित नियम

3684. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार विभाग के अंतर्गत केबल डालने से संबंधित क्या-क्या नियम हैं और इसके लिए किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ग) नियमों के अनुसार केबल डालने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उन्हें क्या सजा दी गई है ; और

(घ) केबलों की चोरी की घटनाओं में कितने अधिकारी और ठेकेदार लिप्त पाए गए हैं;

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) केबल बिछाने के संबंध में विस्तृत विभागीय अनुदेश विद्यमान हैं । तथापि भूमिगत टेलीफोन स्थानीय केबलों को खंदकों में बिछाने के लिए महत्वपूर्ण नियम नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(i) खंदक की गहराई आमतौर पर एक मीटर या इससे अधिक होनी चाहिए जो केबल की किस्म और उसके प्रयोग पर निर्भर करती है ।

(ii) खंदक की चौड़ाई 30 से० मी० से 45से० मी० तक होनी चाहिए जो बिछाई जाने वाली केबलों की संख्या पर निर्भर करती है ।

(iii) केबल की सुरक्षा : खंदक की सतह समतल की जाती है और उसमें एक भी पत्थर नही होना है । केबल को मिट्टी और रेत से ढका जाता है । केबल को नुकसान से बचाने के लिए उसके ऊपर चेतावनी की तख्ती लगाई जाती है और ईंटों अथवा पत्थर की सिलियों से ढका जाता है ।

सड़कों को चौराहों, आदि पर उचित सामग्री से निर्मित पाइपों का प्रयोग किया जाता है ।

(iv) मौजूदा सेवाओं से दूरी : बिजली की केबलों, पानी के पाइपों आदि जैसी मौजूदा सेवाओं से इन्हें उपयुक्त दूरी पर रखा जाता है ।

(v) केबलों के भूमिगत डक्टों में भी बिछाया जाता है जो इस प्रयोजन के लिए पहले से ही बनाए हुए होते हैं ।

(ख) अधिकांश मामलों में निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है । यदि निर्धारित अनुदेशों का कहीं उल्लंघन पाया जाता है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है और ठेकेदार के विरुद्ध भी ठेके की शर्तों के अनुसार अनुपेय कार्रवाई की जाती है

(ग) केबलों को नियमानुसार बिछाने में लापरवाही प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध निर्धारित कार्यविधि के अनुसार और साथ ही ठेकेदारों के विरुद्ध ठेके की शर्तों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

Non functioning of exchanges in Madhya Pradesh

3685. SHRI AJIT P. K. JOGI:

SHRI CHHOTUBHAI PATEL:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a large number of complaints have recently been received from the STD subscribers in M.P. about the non-functioning of exchanges, invariably; and

(b) if so, the steps taken to rectify the defects?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Sir, some complaints have been received. However, STD traffic at a number of places has gone up due to substantial growth of system resulting in congestion on certain STD routes.

(b) On congested routes circuits augmentation has been planned.

Conversion of mannual echgxnges into Electronic-Exchanges in Uttar Pradesh

3686. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2770 given in the Rajya Sabha on 4th August, 1992 and state: